	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुनः 2.00 P.M. पर आवाजें दिलवाई गई, अनु० रहे हैं। अतः अपार्थी संख्या- 1 व 3 से 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते पेश करने जवाब अपार्थी सं० 2 व 10 से 10 दिनांक - 19/12/24 को पेश हो।	
19/12/24	पत्रावली पेश। अपार्थी स. 2 बावजूद सूचना के अनु० है। बार² आवाजें दिलवाई गई, अनु० रहे हैं। अतः अपार्थी स. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। अपार्थी स. 10.11 की ओर से जवाब मूल वाद में अंकित किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक - 23/01/2025 को पेश हो।	
23/1/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 20/3/2025 को पेश हो।	
20/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 15/5/2025 को पेश हो।	
15/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 26/06/2025 को पेश हो।	
26/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकरान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/6/25 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमि प्रार्थी व अपार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की संयुक्त खातेदारी भूमियाँ है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमियों में दखल-अंदाजी करते रहते है। उन्हे अवैध कृत्य नही करने हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।
	हमने बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता सं० 118 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे अंकित है।
	प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण / निर्णय किये जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-
1.	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि खाता सं० 118 ख० न० 1047, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1055, 1266, 1268 वाके ग्राम शेशन्दा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे अंकित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध T.I. का अनुतोष चाहा गया है। बिना बंटवारे के एक सहखातेदार के विरुद्ध दूसरे खातेदार द्वारा T.I. का अनुतोष दिया जाना उचित नही है। सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी मे न होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह-खातेदारी मे है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नही बनता है।
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- विवादित भूमियो मे प्रार्थी को अपने हिस्से की हद तक कब्जे काश्त मे कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना प्रतीत नही होती है, क्योंकि प्रार्थी स्वयं
[signature] उपखण्ड अधिकारी सिवाना	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
विवादित भूमियों का सहखातेदार है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं होने, व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं बनने से प्रा०पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	Note Pross 18-8-2?